

गृह (ग्रुप-6) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर,
डायरी संख्या.../201.....
दिनांक 26/4/2022.....

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक-प. 5(5)गृह-1/2021

जयपुर, दिनांक :

25 APR 2022

आदेश

राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 के नियम 28 के अन्तर्गत गठित रिज्यू विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 22.03.2022 की अभिशंषाओं के अनुसार राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला की वर्ष 2021-22 की पूर्व में सम्पन्न विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषाओं के आधार पर जारी पदोन्नति आदेशों में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:-

वर्ष 2021-22

श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री पीरूराम के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक, जिला भरतपुर के आदेश दिनांक 26.09.2017 के द्वारा प्रदत्त परिनिन्दा के दण्ड को महानिरीक्षक पुलिस, भरतपुर रेंज, भरतपुर द्वारा आदेश दिनांक 20.03.2018 एवं अन्य परिनिन्दा के दण्ड को आदेश दिनांक 28.03.2018 द्वारा समाप्त किये जाने के कारण वर्ष 2021-22 में श्री कन्हैयालाल को पदोन्नत किया जाता है। इनकी वरिष्ठता श्री विकास कुमार पुत्र श्री जीवन राम (सामान्य) के नीचे तथा श्री हरिराम सोनी पुत्र श्री बंशीलाल (सामान्य) के ऊपर निर्धारित की जाती है।

श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री पीरूराम को पदोन्नत किये जाने के फलस्वरूप सामान्य वर्ग की रिक्ति उपलब्ध नहीं होने के कारण श्री किशन सिंह पुत्र श्री रंजित सिंह (सामान्य) के वर्ष 2021-22 में किये गये पदोन्नति आदेश निरस्त किये जाते हैं।

यह पदोन्नति माननीय न्यायालयों में लम्बित समस्त प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन है। श्री कन्हैयालाल अग्रिम आदेशों तक अपने वर्तमान पद पर यथावत कार्य करते रहेंगे।

उक्त अधिकारी को रिक्ति दिनांक से कार्यग्रहण की दिनांक तक नोशनल आधार पर एवं कार्यग्रहण तिथि से वास्तविक रूप से वेतन लाभ देय होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

६०

(रामनिवास मेहता)

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि :-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/शासन सचिव, गृह
3. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-6) विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित अधिकारी मार्फत महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

22/4/22

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को भी सूचनार्थ प्रेषित है।

11

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस